5 रु. भारत पाँच रुपए | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

R 3754-I 16 10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर केम्प

बबूलाल तनय रमजुआ चमार,

निबासी– ग्राम इमलाना , तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

.............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़ .... अनावेदक

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह स्वमेव निगरानी, न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बृत डारगुंवा, तहसील वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ को आवेदक के नाम से पटटा के आधार पर दर्ज भूमि को कंप्यूटर अभिलेख में उसके नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहा है, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक को ग्राम इमलाना, रानिमं कुड़ीला, तहसील वलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 799 रकवा 0.854 है0, खसरा नं0 804 0.530 है0 , तथा खसरा नंबर 806 रकवा 0.437 हैक्टेयर का पटटा प्रदान किया गया था। जिसके आधार पर ग्राम इमलाना की नामांतरण पंजी कमांक 1 दिनांक 12/06/1999 के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया था। तथा आवेदक का नाम भी वाद भूमि पर 2006–07 से 2012–13 तक दर्ज रहा। किन्तु बाद में खसरा रोस्टर के दौरान आवेदक का नाम बिना किसी आधार के काट दिया गया, कंप्यूटर अभिलेख में भूमि म0 प्र0 शासन के नाम दर्ज कर दी गई है। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कई वार तहसीलदार को आवेदनपत्र दिया गया। पटवारी एवं रानि से भी कार्यवाहियॉ करने वावद कहा किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही जब नहीं की गई तो आवेदक को मजबूरन वाद भूमि पर नाम दर्ज करवाने वावद यह स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करना पड़ रही है।

3– यह कि आवेदक को विधिवत रूप से पटटा प्रदाय किया गया था। वादभूमि पर आवेदक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.– 9425451002

राजेन्द्र पटैरिया एड. 9425451002

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3754 –एक/16 जिला –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.11.16	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह स्वमेव निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त डारगुंवा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को आवेदक के नाम से पटट्ा के आधार पर दर्ज भूमि को कंप्यूटर अभिलेख में उसके नाम पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने का आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बतलाया कि आवेदक को ग्राम इमलाना राजस्व निरीक्षक मण्डल कुड़ीला तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 799 रकवा 0.854 है0 खसरा नं0 804 रकवा 0.530 है0 तथा खसरा नंबर 806 रकवा 0.437 है0 का पटट्ा प्रदान किया गया था। जिसके आधार पर ग्राम इमलाना की नामांतरण पंजी कमांक –01 दिनांक 12.06.1999 के आधार पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश भी जारी किया गया था, तथा आवेदक का नाम भी वाद भूमि पर 2006–07 से 2012–13 तक दर्ज रहा। किन्तु बाद में खसरा रोस्टर के दौरान आवेदक का नाम बिना किसी पर्याप्त आधार के कंप्यूटर अभिलेख में पृथक कर म0 प्र0 शासन के नाम भूमि दर्ज कर दी गई है। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा कई बार तहसीलदार को आवेदन पत्र	

दिया गया। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से भी कार्यवाहियां करने वावत कहा किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही जब नहीं की गई तो आवेदक द्वारा यह स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करना पड़ रही है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बतलाया है कि आवेदक को विधिवत रूप से पटट्‌ा प्रदाय किया गया था। वादभूमि पर आवेदक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि पर काफी श्रम एवं धन लगाकर उसको कृषि योग्य बना लिया है। आवेदक को जारी पटट्‌ा किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, जिस कारण से आवेदक का नाम पटट्‌ा के आधार पर कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण की वाद भूमि आवेदक के नाम पर ग्राम इमलाना की नामांतरण पंजी कमांक 01 दिनांकित 12.06.99 पर पारित आदेश के माध्यम से खसरा में दर्ज की गई थी। उपरोक्त पंजी को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। आवेदक का नाम पूर्व के खसरों में पटट्‌ा के आधार पर दर्ज भी रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक का नाम कंप्यूटर अभिलेख में पृथक करना विधि विरूद्व है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम कंप्यूटर अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। उभयपक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

सदस्य